

कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)
जलेब चौक, जयपुर।

ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141-2612593

Website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक:-प.37(1805)गृमु/पीएसएएल/2020/9186-89


दिनांक:- 25 AUG 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स हित कारनी सिक्यूरिटी सर्विसेज जैसलमेर लाईसेन्स संख्या 1561/2017 दिनांक 30.01.2017 वैद्यता 29.01.2022 (निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान) का प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 16 के तहत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3187 दिनांक 06.02.2020 द्वारा निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर से निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रशिक्षण संस्थान में पाई गई अनियमितता के कारण उक्त लाईसेन्स को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4816-17 दिनांक 27.03.2020 द्वारा एक माह के लिये निलम्बित कर अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोम सिंह निवासी गांव-पिथला, जिला-जैसलमेर को कार्यालय पत्र क्रमांक 4818 दिनांक 27.03.2020 के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। निलम्बन का प्रश्न अवधरित नहीं होने के कारण उक्त एजेन्सी का निलम्बन आगे बढ़ाया गया।


अनुज्ञाधारक द्वारा 15.04.2020 को इस कार्यालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्कसंगत व संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह दिनांक 02.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हुये। इनके द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के समय इनके संस्थान में भवन निर्माण का काम चल रहा था व सारा सामान पैक था, एवं अब समस्त आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई है। आवेदक द्वारा वर्तमान स्थिति सत्यापन हेतु पुनः निरीक्षण कराने का अनुरोध किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने हेतु गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर को अधिकृत किया गया। गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान के संचालन में पाई गई अनियमितताएँ दूर कर दी गई हैं व उक्त संस्थान में कुछ संसाधन कम पाये जाने के अतिरिक्त यह संस्थान निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसाय मानक के अनुसार संचालित है।

अतः उक्त लाईसेन्स संख्या 1561/2017 दिनांक 30.01.2017 वैद्यता 29.01.2022 (निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान) को इस शर्त पर पुनः बहाल किया जाता है कि गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर के द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान कम पाये गये संसाधनों की पूर्ति 30 दिवस में कर अनुज्ञाधारी निरीक्षणकर्ता अधिकारी गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर को अवलोकन करावें।


(राजीव दासोत IPS)
(नियंत्रक प्राधिकारी)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संसाधनों की पूर्ति करने की पुष्टि कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भोम सिंह निवासी गांव-पिथला, जिला-जैसलमेर
3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।


(राजीव दासोत IPS)
(नियंत्रक प्राधिकारी)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर